उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (यथासंशोधित) के तहत राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए सभी 38 जिला मुख्यालयों में जिला आयोग स्थापित किया गया है । इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार/शिकायत दर्ज करने की परिस्थितियाँ/दावा पत्र दायर करने के लिए निर्धारित शुल्क एवं इस अधिनियम के तहत प्रावधानित अपीलीय प्राधिकार के संबंध में विवरण निम्नवत् हैः-

नागरिकों के उपभोक्ता अधिकार

1. सुरक्षा का अधिकार
2. सूचना प्राप्ति का अधिकार
3. शिकायत दर्ज करने का अधिकार
4. क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार
5. चयन का अधिकार
6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

अधिनियम के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है ।

- यदि व्यापारी द्वारा व्यापार के अनुचित/प्रतिबंधित तरीके अपनाने के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई हो ।
- यदि खरीदी गयी वस्तुओं में कोई दोष हो ।
- यदि भाड़े पर ली गयी/प्राप्त की गयी सेवाएँ किसी भी रूप में दोषपूण हो ।
- यदि वस्तुओं पर प्रदर्शित या उस समय लागू किसी कानून के तहत या उसके द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगा गया हो ।
- यदि तत्समय किसी कानून का उलंघन कर ऐसी वस्तुएँ बिक्री के लिए प्रस्तुत की जा रही हो, जिसका उपयोग जीवन तथा सुरक्षा के लिए खतरनाक हो ।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (यथासंशोधित) के तहत जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य आयोग में अर्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत त्वरित वाद निष्पादन की व्यवस्था है । इन न्यायालयों में दोषपूर्ण वस्तु/सेवा के एवज में क्षतिपूर्ति दावा पेश करने का प्रावधान है । इस प्रकार के दावा पेश करने के लिए न्यायालय शुल्क की राशि अत्यंत कम है जो निम्न प्रकार है :-

जिला उपभोक्ता फोरम

क्र0	वस्तु/सेवा का कुल मूल्य एवं क्षतिपूर्ति का दावा पत्र	शुल्क
1	एक लाख रू0 तक के दावा पेश करने के लिए (गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय के परिवारों के लिए)	शून्य
2	एक लाख रू0 तक के दावा पेश करने के लिए (गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय परिवारों से भिन्न	100/- रू0

	दावाकर्ता के लिए)	
3	एक लाख, एक रूपये से पाँच लाख रू0 तक	200/- रू0
4	पाँच लाख, एक रूपये से दस लाख रू0 तक	400/- रू0
5	दस लाख, एक रू0 से बीस लाख रू0 तक	500/- रू0

राज्य आयोग

क्र0	वस्तु/सेवा का कुल मूल्य एवं क्षतिपूर्ति का दावा पत्र	शुल्क
1	बीस लाख, एक रू0 से पचास लाख रू0 तक	2000/- रू0
2	पचास लाख, एक रू0 से एक करोड़ रू0 तक	4000/- रू0

राष्टीय आयोग

क्र0	वस्तु/सेवा का कुल मूल्य एवं क्षतिपूर्ति का दावा पत्र	शुल्क
1	एक करोड़, एक रू0 से अधिक तक के लिए	5000/- रू0

नोट :- जिला उपभोक्ता फोरम निर्णय के विरूद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील दाखिल करने की व्यवस्था है । राज्य आयोग के निर्णय के विरूद्ध राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील करने की व्यवस्था है । राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की व्यवस्था है ।